(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 94–चार/1989 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–05–1989 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण क्रमांक 70/निगरानी/1987–88

मंशाराम पिता घुसाई (मृतक के वारिसगण :–)
निवासी ससाबरड तहसील कसरावद जिला खरगोन
(अ)–सकुबाई पति मंशाराम
निवासी ससाबरड तहसील कसरावद जिला खरगोन
(ब)–नारायण पिता मंशाराम
निवासी सदर
(स)–सदाशिव पिता मंशाराम
निवासी सदर
(द)–सूरजबाई पति शेरू
निवासी नाहरखेड़ी तहसील कसरावद जिला खरगोन
(इ)–मनुबाई पति श्यामलाल
निवासी जगतपुरा तहसील बडबाह जिला खरगोन
(ई)–सुमनबाई पति रमेश
निवासी पथराड तहसील महेश्वर जिला खरगोन

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा पटवारी
हल्का नम्बर 35 तहसील कसरावद एवं
कलेक्टर पश्चिम निमाड जिला खरगोन
2–नत्थू पिता मंगत्या राजपूत
निवासी ससाबरड
3–भूरेसिंह पिता बापू राजपूत
निवासी ससाबरड
4–गजानन्द पिता गप्पू भारूड
निवासी ससाबरड
5–रामसिंह पिता नत्थूसिंह राजपूत
निवासी ससाबरड
6–गबरू पिता शोभराम
निवासी ससाबरड

7–भीका पिता औघड़ (मृतक के वारिसगण :–)
निवासी ससाबरड
(अ)भवानीराम पिता भीका
निवासी गांधीनगर तहसील महेश्वर जिला खरगोन
(ब)रमेश पिता भीका
निवासी बकांवा तहसील बडवाह जिला खरगोन
(स)दुलीचंद पिता भीका
निवासी सदर
(द)नानूबाई पिता भीका
निवासी सदर
(इ)हुमाबाई पिता भीका
निवासी सदर
8–बाबू पिता औघड़ (मृतक के वारिसगण :–)
निवासी ससाबरड
(1)निलाबाई पति बाबू
निवासी ससाबरड तहसील कसरावद जिला खरगोन
(2)बद्री पिता बाबू
निवासी सदर
(3)तुलसाबाई पति बाबू
निवासी सदर
9–गणेश पिता रणछोड
निवासी ससाबरड
10–ध्याना पिता कालू भारूड
निवासी ससाबरड
11–बाबू पिता उमराव भारूड (मृतक के वारिसगण :–)
निवासी ससाबरड
(1)कालीबाई पति स्व0बाबूलाल
निवासी ग्राम भाग्यापुर तहसील कसरावद जिला खरगोन
(2)धन्नालाल पिता बाबूलाल
निवासी ग्राम भाग्यापुर तहसील कसरावद जिला खरगोन
(3)मोहनलाल पिता बाबूलाल
निवासी ग्राम भाग्यापुर तहसील कसरावद जिला खरगोन
(4)लोभीराम पिता बाबूलाल
निवासी ग्राम भाग्यापुर तहसील कसरावद जिला खरगोन
12–लक्ष्मण पिता उमराव भारूड
निवासी ससाबरड

.....अनावेदकगण

श्री बी0के0गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एच0एन0फड़के, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 7 व 8

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–5–1989 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी द्वारा नायब तहसीलदार तहसील कसरावद जिला खरगौन के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम ससाबरड की भूमि खाता कमांक 57 पैकी रकबा 51.90 एकड़ भूमि खातेदार नीलकंठ पिता नित्यानंद निवासी इंदौर के नाम दर्ज है । उक्त खातेदार कई वर्षो से ग्राम में निवास नहीं कर रहा है, अतः भूमि लावारिस घोषित की जावे । पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत प्रकरण कमांक 3/अ–25/86–87 दर्ज कर दिनांक 15–6–1987 को आदेश पारित कर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमि एक वर्ष की अवधि के लिये नीलामी पर दिये जाने के आदेश दिये गये । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर जिला खरगौन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर जिला खरगौन द्वारा दिनांक 21–12–1987 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । कलेक्टर जिला खरगौन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–1987 के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–05–1989 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/. आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 7 व 8 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि

लावारिस घोषित नहीं की जा सकती है, क्योंकि संहिता की धारा 176 के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पर 2 वर्ष तक कृषि कार्य नहीं होना चाहिये, जबकि आवेदकों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और लगान का भुगतान भी किया जा रहा है, अतः नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को लावारिस मानते हुये नीलामी पर देने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है और नायब तहसीलदार के अवैधानिक आदेश की पुष्टि कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा करने में त्रुटि की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत एक वर्ष के लिये भूमि की नीलामी की गई है । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध क्रमशः कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि उनके द्वारा निरस्त की गई है, अतः एक ही बिन्दु पर यह तीसरी निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । तर्क से यह भी स्पष्ट है कि आवेदकगण की हैसियत मात्र अतिक्रामक की है और मूल रिकार्ड गायब हो चुका है, ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि तहसीलदार द्वारा रिकार्ड तैयार किया जाकर आगामी कार्यवाही पूर्ववत् प्रारंभ की जाये । इस न्यायालय में यह तीसरी निगरानी औचित्यहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–5–1989 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर